Office of the Accountant General (A&E) Uttrakhand,

(Accountant General Building, Kaulagarh, Dehradun – 248195)
Phone No. 0135 – 2643684, Fax No. 0135 – 2643683

"Special seal authority"

Letter no. – P.A./Pension/2018-19/ Dated:

To,

All Principal / Accountant General (A&E)

Subject: - Regarding payment of arrear salary / allowances to state government employees in two phases due from 01/01/2016 to 31/12/2016 and sanction for 5 percent dearness allowance from 01/07/2017 and 7 percent from 01/07/2017 to those pensioners who have been receiving revised pension from 01/01/2016.

Reference: -
1. Secretary of Uttrakhand government, Finance Section government Order no. 202 / XXVII (7) 30 (7) / 2016.
2. Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no. XXVII (7) 30 (7) / 2016 – dated: 13/11/2017
3. Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no. XXVII (7) 02 / 2016 – dated: 06/10/2017
4. Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no. 147 / XXVII (7) 02 / 2016 – dated: 09/05/2018

Sir,

Copies of above mentioned orders issued by finance department Uttrakhand government are being forwarded to you. You are requested to circulate the above order to all treasury officers / Pension Payment officers under your jurisdiction and issue instructions to take action as per rules and a copy of proceedings may be forwarded to this office.

Yours Faithfully

Senior Accounts Officer / Pension

No. – 202 / XXVII(7) / 2016

From
Radha Ratudi
Principal Secretary
Uttrakhand Government

To
All Assitt Chief Secretaries / Principal Secretary / Secretary / Secretary Incharge
Uttrakhand Government

Finance (Pay Com. G.R.) Section – 7 **Dehradun: Dated – 17 October 2017**

Sub: - Regarding Payment of Arrear to state govt. employees of salary / allowances due from January 1st, 2016 to December 31, 2016 after implementation of 7th pay commission recommendation in the state.

Sir,

In the sequence of above cited subject I have been directed to state that as per following process the Governer is pleased to sanction the payment of arrear of Salary / Allowances to the state govt. employees due from January 1st, 2016 to December 31, 2016.

1. The payment of arrear of salary / allowance for the period of January 1st, 2016 to June 30, 2016 will be made in the current financial year 2017-18 and from July 1st, 2016 to December 2016 will be in the financial year 2018-19.
2. The amount will be deposited in General Provident Fund of the concerned employee after deducting income tax from the arrear which is due as per above in the financial year 2017-18 and 2018-19. Such deposited amount will not be allowed to be withdrawn with in one year except in final withdrawal cases.
3. Employee whose GPF a/c is yet to be opened, in such cases payment of arrear will be made to individual in cash.
4. Employee covered under National Pension Scheme, 10% arrear amount will be deposited in concerned employee's tier – 1 NPS account and equal contribution will be maid by state Government / units in Tier – 1 account under NPS. Remaining arrear will be paid in cash to concerned employee.
5. Employees retired / died between 01.01.2016 to 31.12.2016 or took retirement, arrear will be paid in cash after income tax deduction.

Yours faithfully

Sd/-
(Radha Raturi)
Principal Secretary

UTTRAKHAND GOVERNMENT
Finance (Pay. Com. – G.R.) Section – 7
No. /XXVII (7) 30 (7) / 2018
Dehradun, Dated – 13 November, 2017

Office Memorandum

The governer is pleased to include the following processes by revising govt. order no. – 202 / XXVII (7) 30 (7) /2016 dated – October 17, 2017 regarding sanction the payment of arrear of salary – allowances to the state govt. employees due from January 1st, 2016 to December 31st, 2016 in two phases (financial year – 2017-18 and 2018-19).

1. First – All drawing and disbursing officers will check all pay – fixations under 6th and 7th pay commission of the employees working under them. If this fixation has been made contrary to the rules, its recovery will be insured as per rules.
2. After taking action as per instructions mentioned in point 1, arrear bill of the employees will be prepared by drawing & disbursing officer and a certificate that "all documents of the pay fixation of the concerned employee done under 6th & 7th pay commission has been checked & found correct".
3. If drawing & disbursing officer finds any arrear in the matter of pay fixation prescribed as per recommendations of 6th / 7th pay commission accurate pay will be fixed as per rules and after recovery of the amount which has been paid more, an adjustment bill will be submitted.
4. If the amount of recovery is more than uncounted arrear in any matter, the action will be taken as per financial Hand book Volume 5 – 81 (3) of Part 1.
5. In this period department finance controller / Sr. Finance officer / officers of finance service who are holding other designations in the concerned department, they all will ensure test checking of pay fixation in their own department.
6. In this financial year, after income tax deduction whole payment of the arrear of salary / allowances will be paid in cash in one installment to those employees who have been retired / dead and relieved from the service due to other reasons between 01.01.2016 to 31.12.2016.
7. In the matter of re – employed / reappointed employees, whole payment will be made in cash after deduction of income tax but in such matters both salary and pension of the concerned re – employed employee would be revised. So the revised pension / pension arrear in uncounted salary arrear will be keep in mind and if there is a position of recovery, it will be as per rules.

2 - The above mentioned government order no. – 202 / XXVII (7) 30 (7) / 2016, Dated: October 17, 2017 should be considered revised upto October 17, 2017. The remaining conditions will be duly applied.

Radha Raturi
(Principal Secretary)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19/

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार(लेखा एवं हक़)

विषय- सातवें वेतन आयोग कि संस्तुतिया लागु होने पर राज्य कर्मचारियों को दिनांक:01/01/2016 से 31/12/2016 तक देय वेतन/भत्तों कि अवशेष एरियर राशि के भुगतान तथा देय वेतन भत्तों का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 01/01/2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त पेंशनरो को दिनांक:01/07/2017 से महंगाई राहत 5 प्रतिशत तथा 01/01/2018 से महंगाई राहत 7 प्रतिशत की स्वीकृति ।

संदर्भ-1.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-202/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:17/10/2017

2.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:13/11/2017

3.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)02/2016 दिनांक:06 /10 /2017

4.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-147/XXVII(7)02/2016दिनांक:09/05/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । अत: आपसे अनुरोध है की उक्त आदेश अपने छेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

संग्लग्न-यथोपरि

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

1+1, RC, Rly TS

7522983771
16/07

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)
फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

19 JUL 2018

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1029

दिनांक- 03.07.2018

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलौंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PM-OG TS

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग– 7
संख्या– /XXVII(7)30(7)/2016
देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन–भत्तों की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रथमतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरांत आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही हैं।"
3. यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 81 (3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
5. इस अवधि में विभागीय वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/जिन अन्य पदनामों से संबंधित विभाग में वित्त सेवा के अधिकारी तैनात हो, वे सभी अपने–अपने विभाग में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टेस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।
6. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन/भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।
7. पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप से किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि संबंधित पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई रिकवरी की स्थिति बनती है तो वह नियमानुसार कर ली जाय।

2– उक्त वर्णित शासनादेश संख्या– 202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

DR-43
DR-24.06.18

क्रमशः...........2